आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2018(1) पेज नं. 391-400

राज रानी और एक और बनाम श्री ओम कुमार कौशिक

(न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर)

न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर के समक्ष

राज रानी और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

श्री ओम कुमार कौशिक- प्रतिवादी

सी. आर. आर. (एफ) संख्या 215/2015 (ओ. एंड. एम.)

14 फरवरी, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 15 (3) और 39-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 125-हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 5-हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम-धारा 20 (3)-"रखरखाव" "दूसरी पत्नी" "बेटी"-आपराधिक संशोधन-परिवार न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया-याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपनी बड़ी बहन के पति के साथ विवाह किया-विवाह से पैदा हुए बेटे और बेटी (याचिकाकर्ता संख्या 2) -याचिकाकर्ताओं ने भरण-पोषण की मांग की-प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर आवेदन का विरोध किया गया कि दूसरी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं है और बेटी बालिग और अच्छी तरह से योग्य होने के कारण भरण-पोषण की हकदार नहीं है-परिवार न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया- याचिकाकर्ता संख्या 1 के कारण याचिका खारिज कर दी गई- माना गया - 'पत्नी' शब्द का अर्थ कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के अलावा किसी अन्य के लिए नहीं किया जा सकता है -हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य है- याचिकाकर्ता संख्या 2 के आधार पर याचिका स्वीकार की गई- माना गया- धारा 125 सी.आर.पी.सी. पत्नी, वैध या नाजायज नाबालिग बच्चे को भरण-पोषण दिए जाने का प्रावधान है-हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20(3) के तहत अविवाहित बेटी का भरण-पोषण करना दायित्व है- याचिकाकर्ता नंबर 2 की अविवाहित बालिग बेटी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन दिया, जबकि वह हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत भरण-पोषण की हकदार है- उसे उस उपाय में धकेलना अनावश्यक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी की बहुलता के समान होगा- परिवार न्यायालय ने आवेदन को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत दायर आवेदन के रूप में मानने का निर्देश दिया।

यह माना गया कि संहिता की खंडधारा 125 को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि एक पत्नी, नाबालिग बच्चे या वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण हो और वे

राज रानी और एक और बनाम श्री ओम कुमार कौशिक

(न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर)

व्यभिचारी और निर्धनता के अधीन न हों। पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने को अदालतों द्वारा सामाजिक न्याया के उपाय के रूप में माना गया है और उक्त धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आती है। यह परित्यक्त पत्नी को खाद्य के, कपड़ों के, आश्रय की आपूर्ति के लिए त्वरित उपाय प्रदान करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि पति अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने नैतिक और कानूनी दायित्व को पूरा करता है, चाहे वह नाबालिग बच्चा, पत्नी या वृद्ध माता-पिता हों।

(पैरा 7)

आगे कहा कि "पत्नी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालाँकि, इस शब्द का अर्थ "कानूनी रूप से विवाहित पत्नी" के अलावा किसी अन्य के लिए नहीं किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार, विवाह किसी भी दो हिंदुओं के बीच किया जा सकता है, यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित नहीं है। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में किया गया कोई भी विवाह अमान्य विवाह माना जाएगा।

(पैरा 9)

आगे कहा कि दूसरा प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होगा, वह यह है कि क्या एक अविवाहित बेटी जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, वह संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार होगी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस धारा में एक ऐसी पत्नी, वैध या अवैध नाबालिग बच्चे, चाहे वह विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, को भरण-पोषण देने का प्रावधान है।

(पैरा 13)

आगे कहा कि हालांकि, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) के तहत, एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने वृद्ध या कमजोर माता-पिता या एक बेटी भरण-पोषण करे, जो अविवाहित है, जहां तक माता-पिता या अविवाहित बेटी, जैसा भी मामला हो, अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है।

(पैरा 14)

आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने प्रतिवादी की अविवाहित बड़ी बेटी होने के नाते, भरण-पोषण के अनुदान के लिए संहिता की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जबकि वह हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत

(न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर)

भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होती, अब उसे उस उपाय से वंचित करना अनावश्यक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी की बहुलता के बराबर होगा। यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी आदेश का उल्लेख तब किया जाता है जब न्यायालय और/या वैधानिक प्राधिकारी के पास अपेक्षित क्षेत्राधिकार हो।

(पैरा 16)

एन. के. मल्होत्रा, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से

कुलवीर नरवाल, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दिनांक 11.06.2015 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रोहतक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिकाकर्ताओं को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया है। (संक्षेप में 'कोड')।

(2) संक्षेप में, जो तथ्य बताए गए हैं, वे हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 20.2.1977 को अपनी बड़ी बहन धनपति के पति के साथ अपनी शादी की थी, और इस शादी से दो बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा दीपक और एक बेटी याचिकाकर्ता संख्या 2 यहां है। यह विवाह इस तथ्य के कारण किया गया था कि बड़ी बहन ने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था और एक तांत्रिक की सलाह के अनुसार प्रतिवादी को सलाह दी गई कि यदि वह सामान्य बच्चा चाहता है तो वह पुनर्विवाह कर ले। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है जिसके लिए उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और इसमें प्रतिवादी उसका और उसकी बेटी, जो अविवाहित है, का भरण-पोषण करने के अपने कर्तव्य में विफल हो रहा है। प्रतिवादी द्वारा आवेदन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि याचिकाकर्ता दूसरी पत्नी होने के नाते भरण-पोषण का हकदार नहीं होगी और बेटी एक वयस्क और अच्छी तरह से योग्य होने के कारण किसी भी भरण-पोषण का हकदार नहीं होगी। अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन

खारिज कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

(3) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी, जो हरियाणा सरकार के बिजली विभाग से फोरमैन के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के पास याचिकाकर्ता संख्या 1 का समर्थन करने के लिए उसके पास पर्याप्त से अधिक साधन हैं, जो उनकी दूसरी पत्नी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 नौकरी के बिना अविवाहित है और पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर है और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का हकदार होगी। इस संबंध में निर्भरता **बादशाह** बनाम **सौ .उर्मिला बादशे घोषे** [1] में दिए गए फैसले पर रखी गई है। जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दूसरी पत्नी भी भरण-पोषण की हकदार होगी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता **चांद पटेल** बनाम **बिस्मिल्लाह बेगम** [2] में दिए गए एक फैसले पर भरोसा करते हैं, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी स्थिति में कहा था कि एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी की बहन से तब शादी की जब पत्नी जीवित थी और शादी बनी रही, शादी को अनियमित माना गया था लेकिन अमान्य नहीं था और दूसरी पत्नी और उससे पैदा हुआ बच्चा संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का हकदार होगा।

(4) इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलवीर नरवाल प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह तर्क दिया जाता है कि **बादशाह** (उपरोक्त) के मामले में, यह एक ऐसा मामला था जहां उसकी पत्नी को उसके पूर्व विवाह के बारे में बताए बिना दूसरी शादी की गई थी, जो तत्काल मामले में ऐसा नहीं है।

(5) मैंने पक्षों के वकीलों को सुना है और उनकी सहायता से मामले की दलीलों पर विचार किया है।

(6) इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं अर्थात्:-

i) क्या दूसरी पत्नी संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर

[1](2014) 1 एससीसी 188

[2]2008 (2) आरसीआर (आपराधिक) 321

सकती है, विशेष रूप से जब उसने कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में सभी कर्तव्यों का पालन किया हो?

(ii) क्या एक बेटी, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, अपने पिता से भरण-पोषण का दावा कर सकती है?

(7) संहिता की धारा 125 को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि एक पत्नी, नाबालिग बच्चे या वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण हो और वे व्यभिचार और निर्धनता के अधीन न हों। पत्नी को भरण-पोषण का अनुदान अदालतों द्वारा सामाजिक न्याया के एक उपाय के रूप में माना गया है और उक्त धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आती है। यह परित्यक्त पत्नी को खाद्य, कपड़ों, आश्रय की आपूर्ति के लिए त्वरित उपाय प्रदान करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि पति अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने नैतिक और कानूनी दायित्व को पूरा करता है, चाहे वह नाबालिग बच्चा, पत्नी या वृद्ध माता-पिता हों।

(8) धारा 125 सी.आर.पी.सी. निम्नानुसार है:

125. पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रखरखाव के लिए आदेश।

(1) यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई व्यक्ति उपेक्षा करता है या

रखने से इनकार करता है -

(क) उसकी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) उसका वैध या अवैध नाबालिग बच्चा, चाहे विवाहित हो या न हो, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ, या

(ग) उसका वैध या अवैध बच्चा (जो विवाहित बेटी नहीं है) जो वयस्क हो गया है, जहां ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) उसके पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के प्रमाण पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, ऐसी मासिक दर पर जो कुल मिलाकर पाँच सौ रुपये से अधिक न हो, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, और ऐसे व्यक्ति को उतना ही भुगतान करना, जितना मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित कर सकता है: बशर्ते कि मजिस्ट्रेट खंड (बी) में निर्दिष्ट नाबालिग लड़की के पिता को ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, उसके वयस्क होने तक, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि ऐसी नाबालिग लड़की के पति,यदि विवाहित है, के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। स्पष्टीकरण- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "नाबालिग" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के प्रावधानों के तहत; माना जाता है कि उसने बहुमत प्राप्त नहीं किया है;

(ख) "पत्नी" में एक ऐसी महिला शामिल है जिसका अपने पति से तलाक हो गया है या जिसने तलाक ले लिया है और उसने फिर से शादी नहीं की है।

(2) ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है, तो रखरखाव के लिए आवेदन की तारीख से देय होगा।

(3) यदि इस प्रकार आदेश दिया गया कोई व्यक्ति आदेश का पालन करने में पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, जुर्माना लगाने के लिए प्रदान किए गए तरीके से देय राशि वसूल करने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को, वारंट के निष्पादन के बाद बिना भुगतान किए गए प्रत्येक महीने के भत्तों के

पूरे या किसी भी हिस्से के लिए, एक अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है जो एक महीने तक या जल्द भुगतान किए जाने तक हो सकती है: बशर्ते कि इस खंड के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत को उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी राशि वसूल करने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है जिस दिन वह देय हुई थी: बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके साथ रहने की शर्त पर रखने की पेशकश करता है, और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताए गए इनकार के किसी भी आधार पर विचार कर सकता है, और इस तरह के प्रस्ताव के बावजूद इस खंड के तहत आदेश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए उचित आधार है। स्पष्टीकरण- यदि किसी पति ने किसी अन्य महिला के साथ विवाह किया है या किसी मालकिन को रखा है, तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने के लिए उचित आधार माना जाएगा।

(4) कोई भी पत्नी इस धारा के तहत भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी पर्याप्त कारण के, वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।

(5) इस बात के प्रमाण पर कि कोई भी पत्नी जिसके पक्ष में इस खंड के तहत आदेश दिया गया है, व्यभिचार में रह रही है, या कि पर्याप्त कारण के बिना वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या कि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर देगा।

(9) "पत्नी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, इस शब्द का अर्थ "कानूनी रूप से विवाहित पत्नी" के अलावा किसी और के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार, किसी भी दो हिंदुओं के बीच विवाह किया जा सकता है, यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित नहीं है। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में किया गया कोई भी विवाह अमान्य विवाह माना जाएगा।

(10) याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने **बादशाह** (ऊपर) और **चांद पटेल** (ऊपर) में दिए गए एक फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि दूसरी पत्नी भरण-पोषण की हकदार होगी। उक्त निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि तथ्य तत्काल मामले पर लागू नहीं होते हैं। संदर्भित मामले में, पति का यह तर्क कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दूसरी शादी अमान्य होने से दूसरी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी, अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि पति ने अपनी दूसरी पत्नी को सूचित नहीं किया था कि वह पहले से विवाहित था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पति को उपरोक्त विवाद को उठाकर अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बादशाह के मामले (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> " 13.2.दूसरा, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई थी, जब प्रतिवादी संख्या 1 और याचिकाकर्ता के बीच विवाह संपन्न किया गया था, तो याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी पहली शादी के बारे में अंधेरे में रखा था। प्रतिवादी संख्या 1 को एक गलत अभ्यावेदन दिया गया था कि वह एकल था और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मार्शल टाई में प्रवेश करने में सक्षम था। ऐसी परिस्थितियों में, क्या याचिकाकर्ता को अपनी गलती का लाभ उठाने और पलटकर यह कहने के लिए अनुमति दी जा सकती है कि प्रतिवादी धारा 125 के तहत याचिका दायर करके भरण-पोषण के हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता की "कानूनी रूप से विवाहित पत्नी" नहीं है? हमारा जवाब नकारात्मक है। हमारा विचार है कि कम से कम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रयोजन के लिए, प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता की पत्नी के रूप में माना जाएगा, जो ऊपर दिए गए दो निर्णयों की भावना के अनुसार होगा। इस कारण से, हमारी राय है कि अधव और सविताबेन मामलों में इस न्यायालय के निर्णय केवल उन परिस्थितियों में लागू होंगे जहां एक महिला ने ऐसे पुरुष से शादी की जिसे उसकी पहली शादी के बारे में पूरी जानकारी हो। ऐसे मामलों में, उसे पता होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरी शादी की अनुमति नहीं है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रतिबंध है और इसलिए उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उक्त

निर्णय उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां एक पुरुष उस महिला को पहली जीवित शादी के बारे में अंधेरे में रखकर दूसरी बार शादी करता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे निर्णयों के दो समूहों का मिलान और सामंजस्य किया जा सकता है।"

(11) चांद पटेल (ऊपर) के मामले में तथ्य हाथ में लिए गए मामले पर लागू नहीं होते हैं। कानून का एक सवाल उठा "क्या अपनी पत्नी की बहन के साथ मुस्लिम धर्म का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया विवाह, जबकि उसकी पहले की शादी दूसरी बहन के साथ थी, अवैध होगा या केवल अनियमित या अमान्य होगा, भले ही बाद की शादी पूरी हो गई हो।" संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी। आवेदक बिस्मिल्लाह बेगम, चांद पटेल की पत्नी मशाक बी की छोटी बहन थीं। उसने कहा कि उसकी शादी अपीलकर्ता के साथ पहली पत्नी की सहमति से 'निकनामाह' पढ़कर की गई थी और शादी के बाद विवाह से बेटी का जन्म हुआ था। समय के साथ अपीलकर्ता और बिस्मिल्लाह बेगम के बीच संबंध बिगड़ते गए और उन्होंने आवेदक और नाबालिग बेटी की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, जिनके पास अपना भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में संहिता की खंड 125 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। चांद पटेल की ओर से यह आग्रह किया गया था कि मुस्लिम कानून विशेष रूप से 'गैरकानूनी संयुग्मन' को प्रतिबंधित करता है, जिसका अर्थ यह है कि एक आदमी अपनी पत्नी के जीवनकाल में अपनी पत्नी की बहन से शादी नहीं कर सकता है और, इसलिए, भले ही शादी की गई हो, यह कानूनन अमान्य है और आवेदकों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म के तहत अमान्य और अनियमित विवाहों के बीच अंतर पर चर्चा करने के बाद यह माना गया "कि गैरकानूनी संयुग्मन (जामा बैन-अल-महरमैन) का प्रतिबंध विवाह को अनियमित बनाता है और अमान्य नहीं करता है। नतीजतन, जहाँ तक भारत में मुसलमानों का संबंध है, हनीफ कानून के तहत, और एक अनियमित विवाह कानून के अनुसार समाप्त होने तक जारी रहता है और ऐसे विवाह की पत्नी और बच्चे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधानों के तहत भरण-पोषण के हकदार होंगे।" इसलिए जिस मामले पर भरोसा किया गया है वह तत्काल मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर)

(12) सर्वोच्च न्यायालय ने **यमुनाबाई अनंतराव अधव** बनाम **अनंतराव शिवराम अधव** [3] और **सविताबेन सोमाभाई भाटिया** बनाम **गुजरात राज्य** [4] में माना है कि एक हिंदू महिला जिसने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की, जिसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी जीवित है , उसे कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं माना जा सकता है। यह केवल उस अपवाद में है जहां पहली शादी के निर्वाह के बारे में दूसरी पत्नी को अंधेरे में रखते हुए दूसरी शादी होती है, कि भरण-पोषण की अनुमति दी गई है जैसा कि **बादशाह** (ऊपर) के मामले में है। इसलिए, याचिकाकर्ता इसमें प्रतिवादी की दूसरी पत्नी

---

[3](1988) 1 एससीसी 530 [4](2005) 5 एससीसी 636

होने के नाते, जिसने प्रतिवादी से पूरी जानकारी के साथ शादी की कि उसकी पहली पत्नी अभी भी जीवित थी और कोई तलाक नहीं दिया गया था, भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। उसे किसी अन्य अधिनियम के तहत सहारा मिल सकता है लेकिन संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण नहीं।

(13) विचार के लिए दूसरा सवाल यह है कि, क्या एक अविवाहित बेटी, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार होगी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस धारा में एक ऐसी पत्नी, वैध या अवैध नाबालिग बच्चे, चाहे वह विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, को भरण-पोषण देने का प्रावधान है। **अमरेंद्र कुमार पॉल** बनाम **माया पॉल और अन्य** [5] में, यह माना गया है कि एक बार जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं, तो उन्हें संहिता की धारा 125 के तहत कोई लाभ मिलना बंद हो जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **भगम्मा उपनाम भाग्यश्री** बनाम **भीमराय** [6] में इस हद तक निर्णय दिया है कि संहिता की खंड 125 (1) (सी) के तहत परिभाषित 'चोट' शब्द की व्याख्या व्यापक अर्थों में की जानी चाहिए और इसका अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक चोट के कानूनी अर्थ में नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि इसमें आर्थिक या वित्तीय अभाव भी शामिल हो सकता है।

(14) हालाँकि, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हिंदू भरण-पोषण एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1995 की खंड 20 (3) के तहत, एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने बूढ़े या कमजोर माता-पिता या अविवाहित बेटी का

पालन-पोषण करे, बशर्ते कि माता-पिता या अविवाहित बेटी, जैसा भी मामला हो, अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

(15) याचिकाकर्ता संख्या 2 निस्संदेह प्रतिवादी की उसकी दूसरी पत्नी की अविवाहित बेटी है। जब तक वह अविवाहित रहती है और योग्य होने के बावजूद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ रहती है, तब तक उसका पालन-पोषण करने का दायित्व उसके पिता प्रतिवादी पर डाला जाता है। **जगदीश जुगावत** बनाम **मंजुला लता** [7] में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

---

[5](2009) 8 एससीसी 359

[6]2017 आईएलआर कर्नाटक 3090 [7](2002) 5 एससीसी 422

> "4. हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 (3) में नाबालिग लड़की के वयस्क होने के बाद विवाह तक माता-पिता से भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसलिए, परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बनाए रखने के लिए एल. डी. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है जो हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम की धारा 125 सी. आर. पी. सी. और धारा 20 (3) के संयुक्त पठन पर आधारित है। उपर्युक्त कारणों से हमारा विचार है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के विवादित फैसले/आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

(16) चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 2, प्रतिवादी की अविवाहित बड़ी बेटी होने के नाते, भरण-पोषण के अनुदान के लिए संहिता की खंड 125 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी थी, जबकि वह हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1955 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होती, अब उसे उस उपाय के लिए खारिज करना अनावश्यक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी की बहुलता के बराबर होगा। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी गलत प्रावधान का उल्लेख या किसी प्रावधान का उल्लेख न करना किसी आदेश को अमान्य नहीं करता है यदि अदालत और/या वैधानिक प्राधिकरण के

पास इसकी अपेक्षित अधिकार क्षेत्र थी। निर्भरता **एन. मणि** बनाम **संगीता थिएटर्स और अन्य** [8] और ***P.K.Palanisamy*** बनाम ***N.Arumugham*** **और अन्य** [9] पर रखी गई है। इसलिए, इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

(17) ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान संशोधन को याचिकाकर्ता संख्या 1 के आधार पर खारिज कर दिया गया है, हालांकि, याचिकाकर्ता संख्या 2 के लिए अनुमति दी गई है। नतीजतन, पक्षों को परिवार न्यायालय, रोहतक के समक्ष 28.2.2018 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, जिसे निर्देश दिया गया है कि दायर आवेदन को हिंदू भरण-पोषण और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1955 के तहत भरण-पोषण के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाए और याचिकाकर्ता

---

[8](2004) 12 एससीसी 278 [9]2007(9) स्केल 197

संख्या 2 को देय भरण-पोषण पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ाया जाए। हालाँकि, इस निर्णय से अलग होने से पहले परिवार न्यायालय को मामले का निर्णय अपनी योग्यता के आधार पर करना है और इसमें की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना है। सभी याचिकाओं, अधिकारों और योग्यता के आधार पर बचाव को निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

(18) याचिका को उपरोक्त अवलोकन के साथ आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनुराधा मुंजाल